गृह विभाग

आदेश

दिनांक 27 जनवरी, 2004

संख्या 861/पी-4.—चूंकि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के अधीन जारी की गई हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या 12256/पी-4, दिनांक 5 नवम्बर, 2003, में वर्णित भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् भौंडसी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव में रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र के लिए पुलिस अनुसंधान तथा विकास केन्द्र के लिए अपेक्षित घोषित की गई है।

इसलिए, अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर, गुड़गांव को निदेश देते हैं कि उपर्युक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें।

प्रमिला ईसर,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HOME DEPARTMENT

Order

The 27th January, 2004

No. 861/P-4.— Whereas, the land described in the Haryana Government, Home Department, notification No. 12256/P-4, dated the 5th November, 2003, issued under Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), has been declared to be needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, Police Research and Development Centre for Recruits Training Centre at Bhondsi, Tehsil Sohna, District Gurgaon.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Gurgaon to take order for the acquisition of the land described in the specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

PROMILLA ISSAR,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Home Department.

गृह विभाग

आदेश

दिनांक 27 जनवरी, 2004

संख्या 868/पी-4.—चूंकि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के अधीन जारी की गई, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या 10267/पी-4, दिनांक 17 सितम्बर, 2003, में वर्णित भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् भौंडसी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव में, रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र के रास्ते के लिये अपेक्षित घोषित की गई है।

इसलिये, अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर, गुड़गांव को निदेश देते हैं कि उपर्युक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन लिये आदेश लें।

प्रमिला ईसर,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HOME DEPARTMENT

Order

The 27th January, 2004

No. 868/P-4.—Whereas, the land described in the Haryana Government, Home Department, notification No. 10267/P-4, dated the 17th September, 2003, issued under Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), has been declared to be needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, for passage for Recruits Training Centre at Bhondsi, Tehsil Sohna, District Gurgaon .

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Gurgaon, to take order for the acquisition of the land described in the specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

PROMILLA ISSAR,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Home Department.

EDUCATION DEPARTMENT

The 20th December, 2003

No. 21/41-03 PE (2).—The Governor of Haryana is pleased to constitute Media Coordination Committees for planning, executing and monitoring media activities at Block level, District level and State level as follows :—

Block Media Coordination Committee (BMCC)

1. S.D.O. (Civil)	Chairman
2. Block Education Officer	Member
3. Chairman of Panchayat Samiti	Member
4. Representative of Public Relation Officer	Member
5. Sub-Divisional Education Officer (S.D.E.O.)	Convener

The Committee will review media and mobilization activities at block level. Each block will have its own committee. It will meet once a month and send its proceedings to District Level Media Coordination Committee.

District Media Coordination Committee (DMCC)

1. Deputy Commissioner	Chairman
2. Additional Deputy Commissioner	Member
3. District Public Relation Officer	Member
4. President of Zila Parishad	Member
5. District Primary Education Officer	Member
6. District Education Officer	Convener

This Committee will review and supervise media and mobilization activities at district level. It will meet once a month and send its report to State Level Media Coordination Committee.

State Media Coordination Committee (SMCC)

1.	Commissioner and Secretary, Education Department	Chairman
2.	Director, Development and Panchayats	Member
3.	Director, Public Relations	Member
4.	Director, Women and Child Development	Member
5.	Station Director, All India Radio, Chandigarh	Member
6.	Station Director, Doordarshan Chandigarh	Member
7.	Head, Directorate of Advertising and Visual Publicity (D.A.V.P.), Chandigarh	Member
8.	Head, Press Information Bureau, Chandigarh	Member
9.	Head, Song and Drama Division, Chandigarh	Member
10.	Head, Directorate of Field Publicity, Chandigarh	Member
11.	State Project Director H.P.S.P.P., Chandigarh	Member

The Committee will hold its meeting once in every quarter ending March, June, September and December and send the report of the quarter to the Government of India.

M.L. TAYAL,
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government Haryana, Education Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर अधिसूचना

दिनांक 20 जनवरी, 2004

क्रमांक 2733-ज-2-2003/1235.—श्री जसवन्त सिंह सुपुत्र श्री गंगा सिंह मकान नं० 47 सैक्टर 13 एक्सटैंशन अर्बन एस्टेट करनाल को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा खरीफ 2000 से खरीफ 2001 तक 1,000/- रुपये वार्षिक तथा अधिसूचना क्रमांक 1434-ज-2-2002/9460, दिनांक 12 जून, 2002 द्वारा रबी 2002 से 5000/- रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अनुरूप युद्ध जागीर उक्त राज्य के जिला करनाल में अधिनियम की धारा 9 (ए) तथा बी) के अधीन चण्डीगढ़ प्रशासन से तबदील करके स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमांक 2869-ज-2-2003/1240.—श्री मातादीन पुत्र पीरू राम निवासी गांव भोजावास तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2251-ज-1-80/45538, दिनांक 19 दिसम्बर, 1980 के द्वारा 300/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1,000/- रुपये वार्षिक तथा अधिसूचना क्रमांक 1434-ज-2-2002/9460, दिनांक 12 जून, 2002 द्वारा 5,000/ रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया है।

2. अब श्री मातादीन की दिनांक 17 सितम्बर, 2003 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को स्व० मातादीन की पत्नी श्रीमती इन्द्रबाई के नाम रबी 2003 से 5,000/-रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 9-ज-2-2004/1244.—श्री बलायती राम पुत्र श्री राजा राम, निवासी गांव पिलखनी, तहसील व जिला अम्बाला को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4413-र-4-67/3165, दिनांक 11 सितम्बर, 1967 द्वारा 100/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150/- रुपये वार्षिक, अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/- रुपये वार्षिक, अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-1993/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1,000/ रुपये वार्षिक तथा अधिसूचना क्रमांक 1434-ज-2-2002/9460, दिनांक 12 जून, 2002 द्वारा 5,000/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया है।

2. अब श्री बलायती राम की दिनांक 16 मई, 2001 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को स्व० बलायती राम की पत्नी श्रीमती राजकली के नाम रबी 2001 से 1,000/-रुपये वार्षिक तथा रबी 2002 से 5,000/- रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 10-ज-2-2004/1248.—श्री सरदार सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह, निवासी गांव पिलखनी, तहसील व जिला अम्बाला को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 403-ज-1-82/11809, दिनांक 1 अप्रैल, 1982 द्वारा 300/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1,000/- रुपये वार्षिक तथा अधिसूचना क्रमांक 1434-ज-2-2002/9460, दिनांक 12 जून, 2002 द्वारा 5,000/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया है।

2. अब श्री सरदार सिंह की दिनांक 9 फरवरी, 2000 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को स्व० सरदार सिंह की पत्नी श्रीमती इन्द्र कौर के नाम खरीफ 1999 से 1,000/-रुपये वार्षिक तथा रबी 2002 से 5,000/- वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

नरेश कुमारी,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(BUILDING AND ROADS BRANCH) HISAR

The 9th February, 2003

No. 28-HA/63/2348/S-II.—Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to be required to be taken by the Government at public expense, for a public purpose, namely, Construction of Ring Road from Sirsa-, Ellenabad Road to village Khaja-Khera (Sirsa District). It is, hereby notified that the land in locality, described below is likely to be acquired for the above purpose.

This notification is made under the provision under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

In exercise of the powers, conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana is pleased to authorise the officers, for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen, to enter upon and survey any land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality, may with in 30 days of the publication of this notification, file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, Haryana, PWD, B&R Branch, Hisar.

Plan of the land may be inspected in the office of Land Acquisition Collector, Hisar and the Executive Engineer, Provisional Division No. II, Sirsa.

Specification

District	Tehsil	Locality/Village and Hadbast No.	Area in Acres	Rectangle/Khasra No.	
1	2	3	4	5	
Sirsa	Sirsa	Khaja-Khera H. No. 83	2.70 Acres	1	16/1, 16/2, 16/3, 24, 25
				16	3, 4, 7, 8, 13/1, 13/2, 18, 22
				18	15, 16/1, 16/2, 24, 25
				19	1/2, 2, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 28
				20	21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25/1, 25/2
				21	21, 22, 23
				39	18/2, 19, 20
				40	1/1, 1/2, 2, 3, 8, 13, 16, 17
				41	1, 2, 3, 4, 5/1
				42	1, 2, 3, 4, 5
				43	4, 5
					230/1 to 230/10, 190, 220

(Sd.)...,
Superintending Engineer,
Hisar Circle.

उद्योग विभाग

दिनांक 20 जनवरी, 2004

संख्या/रिक/394.—जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 19 सितम्बर, 2003 को नोटिस दिया गया था जिसमें उक्त श्री रत्न सिंह को 1,000 रु० की राशि 14 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित 12 अप्रैल, 1990 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा करने के लिये कहा गया था और चूंकि समस्त राशि अदा नहीं की गई है। इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि 1,000 रु० की राशि 12 अप्रैल, 1990 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 14 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित उक्त श्री रत्न सिंह से देय और संलग्न अनुसूचि में निर्दिष्ट सम्पत्ति से उक्त कर्जे की वसूली की जा सकती है।

सम्पत्ति की अनुसूचि

I. ऋणी की सारी सम्पत्ति, बुक डेविट्स, मशीनरी व अन्य यन्त्र।

II. ऋणी की व्यक्तिगत जमानत।

III. जमानती की व्यक्तिगत जमानत।

श्री रत्न सिंह पुत्र श्री घीसा राम हरिजन गांव व डाकखाना ईटल कलां, तहसील जीन्द, जिला जीन्द।

(हस्ता.)...,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र, जीन्द ।

उद्योग विभाग

दिनांक 20 जनवरी, 2004

संख्या/रिक/ 399.—जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23/27 के अधीन 19 सितम्बर, 2003 को नोटिस दिया गया था जिसमें उक्त श्री गोपी राम को 420 रु० की राशि 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित 15 अप्रैल, 1983 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा करने के लिये कहा गया था और चूंकि समस्त राशि अदा नहीं की गई है। इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि 420 रु० की राशि 15 अप्रैल, 1983 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित उक्त श्री गोपी राम से देय और संलग्न अनुसूचि में निर्दिष्ट सम्पत्ति से उक्त कर्जे की वसूली की जा सकती है।

सम्पत्ति की अनुसूचि

I. ऋणी की सारी सम्पत्ति, बुक डेविट्स, मशीनरी व अन्य यन्त्र।

II. ऋणी की व्यक्तिगत जमानत।

III. जमानती की व्यक्तिगत जमानत।

श्री गोपी राम पुत्र श्री सुरता धानक, गांव खेड़ीतलौडा, डाकखाना जामनी तहसील जीन्द, जिला जीन्द।

(हस्ता.). . .,

महाप्रबन्धक,

जिला उद्योग केन्द्र, जीन्द ।

उद्योग विभाग

दिनांक 20 जनवरी, 2004

संख्या/रिक/410.—जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 11 नवम्बर, 2003 को नोटिस दिया गया था जिसमें उक्त श्री ज्वाला प्रसाद को 3,000 रु० की राशि 9.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित 6 अप्रैल, 1990 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे अदा करने के लिये कहा गया था और चूंकि समस्त राशि अदा नहीं की गई है। इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि 3,000 रु० की राशि 6 अप्रैल, 1990 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित उक्त श्री ज्वाला प्रसाद से देय और संलग्न अनुसूचि में निर्दिष्ट सम्पत्ति से उक्त कर्जे की वसूली की जा सकती हैं।

सम्पत्ति की अनुसूचि

I. ऋणी की सारी सम्पत्ति, बुक डेविट्स, मशीनरी व अन्य यन्त्र।

II. ऋणी की व्यक्तिगत जमानत।

III. जमानती की व्यक्तिगत जमानत।

श्री ज्वाला प्रसाद पुत्र श्री बदलु राम नजदीक शक्ति शौल वैक्स भिवानी रोड, जीन्द, जिला जीन्द।

(हस्ता.). . .,

महाप्रबन्धक,

जिला उद्योग केन्द्र, जीन्द ।

37041—C.S.—H.G.P., Chd.